न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 29/2014
दिनांक रजु :– 14–03–2014

पीठासीन अधिकारी
श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

बृजमोहन गौड आत्मज श्री गोविन्दनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रामगढ पचवारा, तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0

(वादी)

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ
2. किशनलाल पुत्र जगन्नाथ
3. संजयकुमार पुत्र ओमप्रकाश
4. गणेशनारायण पुत्र मोतीलाल

   समस्त जाति महाजन निवासी रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0
5. रामफुल पुत्र छाज्या
6. झौण्डा पुत्र मूल्या

   जाति मीना (मेहर) निवासी ग्राम रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद स्थायी निषेधाज्ञा

अ0धा0 188 रा0का0 अधि0

निर्णय दिनांक : 24/11/20

उपस्थित :– श्री ब्रजमोहन गौड एडवोकेट – वादी की ओर से
प्रतिवादीगण की और श्री देवीसिंह चौहान एडवोकेट

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 203/860 रकबा 04 बीघा वाकै ग्राम रामगढ पचवारा मोटर स्टेण्ड रामगढ पचवारा तिराहा पर स्थित है। इस भूमि की खातेदारी कागजात राजस्व पटवार मे मांगीलाल आदि सह खातेदारान के नाम अंकित है। इस खसरा नम्बर की भूमि वाद पत्र मे वादग्रस्त अंकित किया जा रहा हैं वाद पत्र मे वादी का हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा(दौसा)

1/7 का सह खातेदार एवं आधिपत्यधारी है। वादग्रस्त भूमि रामगढ पचवारा से तुंगा सड़क के पश्चिम एवम् पूर्व भी स्थित है। आराजी वादग्रस्त को हम सहखातेदारान ने सड़क के पश्चिम की भमि को 7 भूखण्डो मे विभक्त कर पृथक पृथक कब्जे कर रखे है। वादी के हिस्से का भूखण्ड तिराहा पर पूर्वमुखी स्थित है। वादी अपने भूखण्ड के पुख्ता दीवार अर्सा 15 वर्ष पूर्व नींव भरकर जमीन की सतह से 3 फीट उंची बना रखी है। प्रतिवादीगण का या अन्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था का वादी के भूखण्ड से कोई सम्बन्ध नही है। वादी ने अपने भूखण्ड पर निर्माणार्थ पूर्व मे बनी हुई दक्षिणी दीवार में लोहे की तीन कॉलम स्थापित करवा रखे है। उत्तर की और भी कॉलम खडे करवा रखे है। वादी के भूखण्ड की सीमा स्थिति इस प्रकार है कि :– पूर्व मे – लालसोट तुंगा सड़क मार्ग, पश्चिम में – स्वयं के भूखण्ड की खाली भूमि, दक्षिण में – रामकिशोर शर्मा की निर्माणाधीन दुकानात तथा रामकिशोर शर्मा एवम् प्रतिवादीगण के बीच विवादित भूखण्ड, उत्तर में – कैलाश मीना निवासी श्रीया सह खातेदार की पुख्ता दुकानात। इस प्रकार वादी की सह खातेदारी मे निर्माणाधीन भूखण्ड जिसकी लम्बाई पूर्व पश्चिम करीब 65 एवम् चौडाई उत्तर दक्षिण 40 फीट। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने खसरा नं0 205 रकबा 10 बिस्वा भूमि जो श्रवण पुत्र मूल्या बैरवा की खातेदारी मे अंकित है मे से 500 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ एवम् 185 वर्ग मीटर भू भाग वाणिज्यक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित कराकर सन् 2001 मे क्रय किया था। उक्त भू भाग पर दुकानात व मकानात निर्माण करवा दिये है, जिसमे खसरा नं0 206 गैर मुमकिन चाह सिवायचक भूमि का भू भाग भी दबाकर अतिक्रमण कर लिया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने मोटर स्टेण्ड तिराहा से ग्राम की आबादी मे आवागमनार्थ सडक के उत्तरी भाग की भूमि को अपनी बताकर प्रतिवादीगण संख्या पांच व छः को कोई इकरारनामा निष्पादित कर रखा है। प्रतिवादी संख्या चार लगायत छः भू माफिया गिरोह के व्यक्ति है। जिसका रामकिशोर शर्मा के साथ सन् 2001 से विवाद चल रहा है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश लालसोट के यहां वाद उनवानी रामकिशोर बनाम ओमप्रकाश आदि विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में मौका कमिश्नर द्वारा मौका निरिक्षण भी दिनांक 12–12–2001 को किया जा चुका है, जिसमे वादी के भूखण्ड के अस्तित्व को निर्दिष्ट किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा श्रवण पुत्र मूल्या बैरवा से क्रय तथाकथित भूखण्ड के नजरी मानचित्र मे भी वादी के भूखण्ड को दर्शित किया गया है। इस प्रकार वादी के भूखण्ड से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही रहा है न आज दिन है। प्रतिवादी संख्या एक व दो के पक्ष में भू संपरिवर्तन का आदेश निरस्त हो चुका है। खसरा नम्बर 205 से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादी संख्या चार उग्र प्रवृति का व्यक्ति है,

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

जिसने प्रतिवादी संख्या एक व दो से प्रतिवादीगण संख्या पांच व छः के नाम इकरारनामा निष्पादित करवाया है, तथा प्रतिवादीगण संख्या पांच व छः ने मीना जाति के झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, उनको उकसाकर वादी के भूखण्ड पर विवाद उत्पन्न कर दिया हैं। प्रतिवादीगण वादी के भूखण्ड पर विवाद उत्पन्न कर दिया झगडा कर वादी के भूखण्ड पर अनाधिकृत करने पर आमादा है। वादी के भूखण्ड पर वादी द्वारा निर्माण करने पर जबरन व्यवधान उत्पन्न करने को प्रयासरत है, जिसके कारण वादी के अधीकारो का हनन होने व अपूरणीय क्षति होने की प्रबल स्थिति विगत चार माह से बनी हुई है। वादी न्यायालय मान्य से संरक्षण प्राप्त कर प्रतिवादीगण को इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंन्धित करवाने को अधिकृत है कि प्रतिवादीगण आराजी खसरा नं0 203/860 रकबा 04 बीघा के दक्षिणी पूर्वी भाग पर तिराहे पर पूर्वमुखी वादी के भूखण्ड जिसकी माप व सीमा स्थिति वाद पत्र के चरण संख्या तीन में अंकित है पर वादी के आधिपत्य मे व्यवधान उत्पन्न करने से स्वयं अपने परिवारजन एवम अपने सेवको साथियो सहित प्रतिबन्धित रहे, एतदर्थ यह वाद न्यायालय मे पेश है। वाद कारण दिनांक 05–01–2014 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के भूखण्ड की दक्षिणी दीवार पर खडे करवाये लोहे के दो कॉलम को भूखण्ड मे अनाधिकृत प्रवेश कर झुकाकर तिरछे करने पर बिनाय मुखास्मत उत्पन्न हुआ है।

पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री देवीसिंह चौहान एडवोकेट ने अपना वकालतनामा मय जवाब वाद पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया तथा वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश की गई जिसे बाद सुनवाई बहस खारीज की गई पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत कर गवाह पी.डब्लू– 1 ब्रजमोहन गौड के बयान लेखबद्व करवाये तत्पश्चात दिनांक 07–12–17 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे पेश की गई जिस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनाक 27–12–2017 को प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने एक एक अन्तिम अवसर दिया गया। पत्रावली माननीय न्यायालय से प्राप्त होने पर प्रतिवादी को साक्ष्य हेतू अंन्तिम अवसर दिये जाने के बावजुद दिनांक 01–04–2021 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कर पत्रावली अंतिम बहस हेतू नियत की गई। किन्तु दिनांक 16–11–22 को वकील प्रतिवादीगण ने उक्त पत्रावली मे नो इन्ट्रक्शन कर पत्रावली वास्ते आदेश नियत की गई।

बहस वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तर्क दिया कि आराजी खसरा नं0 203/860 रकबा 04 बीघा के दक्षिणी पूर्वी भाग पर तिराहे पर पूर्वमुखी वादी के

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा(बौसा)

भूखण्ड जिसकी माप व सीमा स्थिति वाद पत्र के चरण संख्या तीन में अंकित है पर वादी के आधिपत्य मे प्रतिवादीगण व्यवधान उत्पन्न करने से स्वयं अपने परिवारजन एवम अपने सेवको साथियो सहित प्रतिबन्धित रहे।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया एवं आराजी खसरा नं0 203/860 रकबा 04 बीघा के दक्षिणी पूर्वी भाग पर तिराहे पर पूर्वमुखी वादी के भूखण्ड जिसकी माप व सीमा स्थिति वाद पत्र के चरण संख्या तीन में अंकित है इस प्रकार वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 203/860 रकबा 04 बीघा भूमि वाकै ग्राम रामगढ पचवारा वादी ने अपने भूखण्ड पर निर्माणार्थ पूर्व मे बनी हुई दक्षिणी दीवार में लोहे की तीन कॉलम स्थापित करवा रखे है। उत्तर की और भी कॉलम खडे करवा रखे है। वादी के भूखण्ड की सीमा स्थिति इस प्रकार है कि :– पूर्व मे – लालसोट तुंगा सड़क मार्ग, पश्चिम में – स्वयं के भूखण्ड की खाली भूमि, दक्षिण में – रामकिशोर शर्मा की निर्माणाधीन दुकानात तथा रामकिशोर शर्मा एवम् प्रतिवादीगण के बीच विवादित भूखण्ड, उत्तर में – कैलाश मीना निवासी श्रीया सह खातेदार की पुख्ता दुकानात। इस प्रकार वादी की सह खातेदारी मे निर्माणाधीन भूखण्ड जिसकी लम्बाई पूर्व पश्चिम करीब 65 एवम् चौडाई उत्तर दक्षिण 40 फीट पर प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य मे व्यवधान उत्पन्न करने से स्वयं अपने परिवारजन एवम अपने सेवको साथियो सहित प्रतिबन्धित रहे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/11/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(मोहर सिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (बांसा)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपजिलाधीश रामगढ पचवारा जिला दौसा

बइजलास – श्री मोहर सिंह मीना आ.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 29 / 14 दिनांक रजु : 14–03–2014

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहर सिंह मीना आर.ए.एस.

उपजिलाधीश रामगढ पचवारा

बृजमोहन गौड आत्मज श्री गोविन्दनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रामगढ पचवारा, तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0

(वादी)

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ
2. किशनलाल पुत्र जगन्नाथ
3. संजयकुमार पुत्र ओमप्रकाश
4. गणेशनारायण पुत्र मोतीलाल

समस्त जाति महाजन निवासी रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0

3. रामफुल पुत्र छाज्या
4. झौण्डा पुत्र मूल्या

जाति मीना (मेहर) निवासी ग्राम रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 रा0 का0 अधिनियम

निर्णय

दिनांक 24/11/22

प्रकरण का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है कि

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .....व

हाजिरी .....मिनजाबिन मुद्दई रूबरू .....

मिनजाबिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद व

बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नं. 203 / 860 रकबा 04 बीघा

वाकै ग्राम रामगढ पचवारा वादी ने अपने भूखण्ड पर निर्माणार्थ पूर्व मे बनी हुई दक्षिणी दीवार में लोहे की तीन कॉलम स्थापित करवा रखे है। उत्तर की और भी कॉलम खडे करवा रखे है। वादी के भूखण्ड की सीमा स्थिति इस प्रकार है कि :– पूर्व मे – लालसोट तुंगा सडक मार्ग, पश्चिम में – स्वयं के भूखण्ड की खाली भूमि, दक्षिण में – रामकिशोर शर्मा की निर्माणाधीन दुकानात तथा रामकिशोर शर्मा एवम् प्रतिवादीगण के बीच विवादित भूखण्ड, उत्तर में – कैलाश मीना निवासी श्रीया सह खातेदार की पुख्ता दुकानात। इस प्रकार वादी की सह खातेदारी मे निर्माणाधीन भूखण्ड जिसकी लम्बाई पूर्व पश्चिम करीब 65 एवम् चौडाई उत्तर दक्षिण 40 फीट पर प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य मे व्यवधान उत्पन्न करने से स्वयं अपने परिवारजन एवम अपने सेवको साथियो सहित प्रतिबन्धित रहे।

निज .....मुबलिग .....बाबत .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह .....फीसदी सलाना आज की तारीख से मारीख अदायगी तक .....का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह सन् को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

ओहदा .....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दयलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस गवाहान		
फीस गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्माना		
बाबत इजराय हुक्माना			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।